रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 3—खण्ड 4
PART 3—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 348] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 3, 2014/अग्रहायण 12, 1936
No. 348] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 3, 2014/AGRAHAYANA 12, 1936

विद्युत मंत्रालय
(केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2014

सं. 23/47/2014-आर एंड आर(वाल्यूम III).—केंदीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत अधिनियम 2003 (2003 की संख्या 36) धारा 177 की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 55 की उप धारा (1) तथा धारा 73 के खंड (ड़) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन एवं प्रचालन) विनियम, 2006 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन एवं प्रचालन) संशोधन विनियम, 2014 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. **लागू होना** – ये विनियम (क) 415 वॉट और उससे निम्न वोल्टेज स्तरों (अथवा समय – समय पर यथा संशोधित प्रत्यावर्ती (आल्टरनेटिंग) करंट (ए सी) न्यूनतम प्रणाली वोल्टेज की वैल्यूज के लिए प्रासंगिक भारतीय मानक के अनुसार तदनुरूपी वोल्टेज) पर ग्रिड के साथ कनैक्टिविटी की मांग करने वाले सभी ग्रिड इंटरएक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों को लागू होंगे।

(ख) 415 वॉट और उससे अधिक वोल्टेज स्तरों (अथवा समय – समय पर यथा संशोधित प्रत्यावर्ती (आल्टरनेटिंग) करंट (ए सी) न्यूनतम प्रणाली वोल्टेज के वैल्यूज के लिए प्रासंगिक भारतीय मानक के अनुसार तदनुरूपी वोल्टेज) पर संयोजित (कनैक्टिड) ग्रिड इंटरएक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र उन्हीं मीटरिंग प्रबंधों को लागू होंगे जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन एवं प्रचालन) विनियम, 2006 में विद्युत उत्पादन केंद्रों के लिए निर्धारित किए गए हैं।

(ग) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन और प्रचालन) विनियम, 2006 में यथा विनिर्दिष्ट 'उपभोक्ता मीटर' के सभी खंड 'नवीकरणीय ऊर्जा मीटर' के लिए भी लागू होंगे, जब तक कि इन विनियमों में अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो।

3. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन एवं प्रचालन) विनियम 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात विनियम कहा गया है) के विनियम 2 उप खंड (1) में खंड (भ) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्